

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-114ए/2012  
संस्थापन दिनांक-10.12.2012

अलीराम पिता स्व. हमेलसिंग, उम्र 50 वर्ष, जाति तेली,  
निवासी-धामीनडीही, पोस्ट व थाना रेंगाखार,  
तहसील व जिला कबीरधाम (छ.ग.) — — — — — वादी

**विरुद्ध**

1-दयाराम पिता स्व. हमेलसिंग, उम्र 46 वर्ष, जाति तेली,  
निवासी-सालेवाड़ा, पो. रेलवाड़ी तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-कोमल प्रसाद पिता दयाराम, उम्र 21 वर्ष, जाति तेली,  
निवासी-सालेवाड़ा, पो. रेलवाड़ी तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-दानीराम पिता दयाराम, उम्र 16 वर्ष, जाति तेली,  
नाबालिक वली पिता दयाराम,  
निवासी-सालेवाड़ा, पो. रेलवाड़ी तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-त्रिलोक पिता दयाराम, उम्र 14 वर्ष, तेली,  
नाबालिक वली पिता दयाराम,  
निवासी-सालेवाड़ा, पो. रेलवाड़ी तहसील बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

5-म.प्र.शासन तर्फे कलेक्टर महोदय,  
तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — प्रतिवादीगण

1-वादी की ओर से श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता उपस्थित।

2-प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 की ओर से श्री आर.बी.पाठक अधिवक्ता।

3-प्रतिवादी क्रमांक-5 द्वारा श्री पूर्व से एकपक्षीय

**-: // निर्णय // :-**

**(आज दिनांक-08/08/2014 को घोषित)**

1- वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा सालेवाड़ा प.हनं. 39 रा.नि.मं. दमोह तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 11/3 एवं 11/7 पुराना खसरा नम्बर 11/3 रकबा 3.32 एकड़ भूमि पर

(जिसे आगे विवादित भूमि से सम्बोधित किया जायेगा) पर वादी को स्वत्व प्राप्त होने एवं संशोधन पंजी वादी पर बंधनकारी न होने की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 सगे भाई हैं, उनके पिता स्वर्गीय हमेलसिंह के नाम पर विवादित भूमि दर्ज थी, जिस पर वह अपने जीवनकाल में काबिज काशत थे।

3— वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि स्वर्गीय हमेलसिंह की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों पर प्रतिवादी क्रमांक-1 ने कपट पूर्वक चोरी-छुपे एकमात्र स्वामी के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया और अपने पुत्रों प्रतिवादी क्रमांक-2 से 4 के नाम पर कपट पूर्वक दिनांक-05.09.2011 को विवादित भूमि का बिना प्रतिफल के विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। उक्त विक्रय प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी का विवादित भूमि से हक समाप्त करने के आशय से किया है, जो वादी पर बंधनकारक नहीं है। स्वर्गीय हमेलसिंह की फौत उपरांत वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 विवादित भूमि के आधे-आधे हिस्से में काशत करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के द्वारा वादी को विवादित भूमि पर काशत करने से मना करने एवं उसका हक समाप्त होने की धमकी दिये जाने पर उसने विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख की जानकारी प्राप्त की तो उसे, प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में फर्जी संशोधन कराने व विक्रय पत्र निष्पादित करायें जाने की जानकारी हुई। वादी ने विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व होने, विक्रय एवं संशोधन पंजी को प्रभावशून्य करने की घोषणा हेतु अनुतोष चाहा है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 ने संयुक्त रूप से जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि वादी विवाह होने के पश्चात् स्वर्गीय हमेलसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 से अलग हो गया। वादी ने पिता से अलग होने के बाद खानदानी भूमि का मौके पर बंटवारा कराकर अपना अंश प्राप्त कर लिया और

बंटवारा में प्राप्त खसरा नम्बर 11/3 रकबा 1.52 एकड़ भूमि को विक्रय कर प्राप्त राशि से ग्राम घामनडीह में अचल सम्पत्ति क्रय की। वादी द्वारा पिता के जीवनकाल में ही उसका विवादित भूमि में से अंश प्राप्त कर लेने से वादी का कोई हक व अधिकार नहीं रहा। स्वर्गीय हमेलसिंह के दो पुत्र अलीराम, दयाराम तथा तीन पुत्रियाँ शिववती, घसनीन व दयावती हैं। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने पुत्रों के नाम पर विवादित भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर पंजीयन कराया है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5— प्रतिवादी क्रमांक-5 ने जवाबदावा पेश नहीं किया तथा वह प्रकरण में एकपक्षीय है।

6— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :—

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा सालेवाड़ा प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. दमौह तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 11/3, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 11/3 व 11/7 है, पर वादी को स्वत्व प्राप्त है ?	'प्रमाणित'
2	क्या उक्त विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा किया गया विक्रय पत्र दिनांक-05.09.2011 प्रभावशून्य है?	'प्रमाणित'
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कड़िका अनुसार
4	क्या वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से दूषित है ?	'प्रमाणित नहीं'

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### वादप्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण

7— वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि के राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1, खसरा फार्म वर्ष 2011-12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2 व प्रदर्श पी-3, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2011-12 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 व प्रदर्श पी-5 पेश की है, जिससे यह प्रकट होता है कि

विवादित भूमि वर्तमान में खसरा नम्बर 11/3 दयाराम के नाम पर व खसरा नम्बर 11/7 दयाराम के पुत्रों प्रतिवादी क्रमांक-2 से 4 के नाम पर दर्ज है। विवादित भूमि की संशोधन पंजी क्रमांक-320 दिनांक-25.02.1982 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि स्वर्गीय हमेलसिंह को विवादित भूमि शामिल सरीक रूप से भाईयों के साथ पिता के फौत होने के उपरांत प्राप्त हुई थी। इस प्रकार विवादित भूमि हमेलसिंह की मृत्यु उपरांत वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 को संयुक्त रूप से प्राप्त होना प्रकट होता है।

8— वादी अलीराम (वा.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब वह 22-23 साल की आयु का था तब उसके पिता से अलग हो गया था। साक्षी ने यह इंकार किया है कि उसके पिता ने अलग होने के पश्चात् उसे कमाने-खाने के लिए जमीन दे दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने खसरा नम्बर 11/3 में कोई हक व हिस्सा न लेने के संबंध में इकरारनामा लिखाया था। साक्षी के विवादित भूमि का बंटवारा न होने और उसका हिस्सा विवादित भूमि में से प्राप्त न किये जाने के संबंध में कथन स्थिर रहे हैं तथा खण्डन न होने से उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

9— प्रतिवादी दयाराम (प्र.सा.1) ने अपने अभिवचन के अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पिता की मृत्यु होने पर विवादित भूमि की फौती दर्ज होने की संशोधन पंजी उसने प्रकरण में पेश नहीं की है।

10— बुधराम (प्र.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का बंटवारा पत्र उसे देखने में नहीं आया और उभयपक्ष के मध्य बंटवारा पत्र नहीं लिखा गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि हमेलसिंह की सम्पत्ति पर उसके सभी पुत्र एवं पुत्रियों का अधिकार है और उसे नहीं मालूम कि विवादित भूमि पर अकेले दयाराम ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इसी प्रकार नारायण (प्र.सा.3) एवं धूरसिंह (प्र.सा.4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि हमेलसिंह की मृत्यु होने के उपरांत दयाराम ने वादी एवं उसकी बहनों का नाम दर्ज नहीं कराया और उनकी जानकारी के बगैर अपने पुत्रों के पक्ष में भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी

साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में विवादित भूमि का बंटवारा नहीं होने के तथ्य को स्वीकार किया है

11— प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि के कथित रूप से बंटवारा होने और वादी को उसका अंश प्राप्त होने के तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित नहीं कराया गया है तथा उक्त के संबंध में प्रतिवादी पक्ष की मौखिक साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती है। स्वयं प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वर्गीय हमेलसिंह की फौत उपरांत प्राप्त विवादित भूमि को वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 की संयुक्त स्वामित्व की भूमि होना स्वीकार किया है तथा कथित बंटवारा के संबंध में साक्षीगण अपने कथन में स्थिर नहीं रहे हैं। वास्तव में प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि का कथित बंटवारा मात्र काल्पनिक होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि विवादित भूमि का विधिवत् बंटवारा होकर वादी ने विवादित भूमि पर अंश प्राप्त कर लिया था या प्रतिवादी क्रमांक-1 के पक्ष में हक त्याग कर दिया था।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 ने उनके पिता स्वर्गीय हमेलसिंह की फौती उपरांत विवादित भूमि संयुक्त रूप से प्राप्त की, जिस पर उनका संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है। चूंकि वादी कुछ सालों से प्रतिवादी क्रमांक-1 से अलग निवास करता रहा, जिसका अवैध रूप से लाभ उठाने की गरज से प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वर्गीय हमेलसिंह के फौत उपरांत विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में अपना नाम एकमात्र स्वामी के रूप में दर्ज करा लिया। यद्यपि प्रतिवादी क्रमांक-1 का विवादित भूमि पर एकमात्र स्वामी के रूप में नाम दर्ज होने के संबंध में उभयपक्ष की ओर से राजस्व अभिलेख की प्रति पेश नहीं की गई है। इस प्रकार वादी ने यह प्रमाणित किया है कि विवादित भूमि मौजा सालेवाड़ा प.ह.नं. 39, रा.नि.मं. दमौह तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 11/3 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 11/3 व 11/7 है, पर हमेलसिंह के वारसान के रूप में वादी को भी स्वत्व प्राप्त है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 वादी के पक्ष में 'प्रमाणित है' के रूप में निराकृत किया जाता है।



**वादप्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण**

13— यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा किया गया विक्रय पत्र दिनांक-05.09.2011 प्रभावशून्य है। यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि के खसरा नम्बर 11/3 में से 3 एकड़ भूमि का प्रतिवादी क्रमांक-2 से 4 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया है। उक्त विक्रय पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 वादी ने पेश की है, जिसमें विक्रेता द्वारा क्रेतागण से 1,00,000/-रूपये राशि प्रतिफल के रूप में प्राप्त किया जाना उल्लेखित है। दयाराम (प्र.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त भूमि का विक्रय उसके मां-बाप के इलाज में हुए खर्च की राशि अदा करने के लिए उसने अपने लड़कों के नाम पर विक्रय पत्र का पंजीयन करना प्रकट किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पंजीयन के समय राशि प्राप्त नहीं की थी। प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन में उक्त विक्रय पत्र अपने पुत्रों के नाम पर प्रतिफल राशि के बदले निष्पादित किये जाने का अभिवचन नहीं किया और न ही प्रतिवादी क्रमांक-1 के मां-बाप के इलाज में हुए खर्च की राशि अदा करने के लिए कथित अंतरण करने का अभिवचन किया है। इस प्रकार अभिवचन के अभाव में साक्ष्य में प्रस्तुत उक्त तथ्य ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है।

14— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि में से 3 एकड़ भूमि का विक्रय अन्य सहस्वामी की सहमति एवं जानकारी के बगैर किया है। ऐसी दशा में संयुक्त स्वामित्व वाली विवादित भूमि में से अंतरण किये गये भू-भाग के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक-1 को छोड़कर शेष सहस्वामियों पर उक्त विक्रय पत्र दिनांक-05.09.2011 बंधनकारी नहीं है। प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि हमेलसिंह के दो पुत्र अलीराम, दयाराम तथा तीन पुत्रियाँ शिववती, घसनीन, व दयावती है। अलीराम (वा.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि स्वर्गीय हमेलसिंह की पांच संताने, दो लड़के एवं तीन लड़कियाँ है तथा वे तेली जाति के होकर हिन्दू विधि को मानते है। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि जमीन में लड़कियों का हिस्सा बनता है।

15— प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित है कि स्वर्गीय हमेलसिंह के जीवनकाल में विवादित भूमि का उसकी संतानों के मध्य बंटवारा नहीं हुआ था। पक्षकारगण हिन्दू विधि से शासित होते है। वादी ने वाद में उसकी तीन बहनों को पक्षकार नहीं बनाया है, किन्तु वाद में विवादित भूमि में से विक्रय की गई भूमि को

प्रभावशून्य घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने सहस्वामित्व वाली कृषि भूमि का विक्रय किया है, इस कारण उसे उसके अंश का अंतरण करने का हक प्राप्त था। जहाँ तक अन्य सहस्वामी के अंश के विक्रय करने का प्रश्न है, प्रतिवादी क्रमांक-1 को अन्य सहस्वामी के अंश का विक्रय करने का अधिकार नहीं होने से उस सीमा तक विक्रय दिनांक-05.09.2011 वादी सहित अन्य सहस्वामी पर प्रभावशून्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 के अनुसार विवादित भूमि पर स्वर्गीय हमेलसिंह के वारसान के रूप में दो पुत्रगण वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 एवं तीन पुत्रीगण, प्रत्येक को 1/5 अंश प्राप्त है। इस प्रकार विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा किया गया विक्रय पत्र दिनांक-05.09.2011 अन्य सहस्वामी वादी एवं उसकी तीन बहनों के लिए प्रभावशून्य है। उपरोक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक-2 वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से निराकृत किया जाता है।

#### वादप्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण

16— यह साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है कि वाद में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष है। वादी ने यह वाद विवादित भूमि पर स्वर्गीय हमेलसिंह के वारसान होने के आधार पर मुख्य रूप से स्वत्व की घोषणा का दावा पेश किया है। वादी ने विवादित भूमि की प्रकृति संयुक्त खातेदार वाली सहस्वामित्व की भूमि होना प्रकट किया है और उसने वाद में विवादित भूमि के अंश की घोषणा एवं बंटवारा की मांग नहीं की है। वास्तव में वादी के अभिवचन के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में मात्र स्वयं का नाम दर्ज करवा कर अपने पुत्रों प्रतिवादी क्रमांक-2 से 4 के पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित किये जाने से इन प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के विवादित भूमि पर स्वत्व को चुनौती दी गयी है। ऐसी दशा में वादी की विधिक स्थिति को चुनौती मात्र प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 के द्वारा ही दिये जाने से वाद की प्रकृति के अनुसार अन्य हितबद्ध व्यक्ति को वाद में पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

17— वादी ने यह वाद सम्पूर्ण भूमि पर एकमात्र स्वामित्व प्राप्त होने के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का एकमेव अधिकार होना प्रकट नहीं होता है। विवादित भूमि के सभी सहस्वामी बंटवारे हेतु राजस्व न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अपना कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। वादी को यह विकल्प प्राप्त है कि वह विवादित भूमि का बंटवारा मांगे बगैर विवादित

भूमि पर सहस्वामी होने की हैसियत को बनाये रखते हुए मात्र स्वत्व की घोषणा की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के अन्य सहस्वामी को वाद में पक्षकार बनाये बिना ही और उनके हितों को प्रभावित किये बिना वादी के द्वारा चाही गई सहायता के संबंध में निष्पादन योग्य आज्ञा पारित की जा सकती है। इस प्रकार वाद में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष नहीं है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-4 वादी के पक्ष में सकारात्मक 'प्रमाणित नहीं' के रूप से निराकृत किया जाता है।

### सहायता एवं व्यय

18— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने अपना वाद प्रमाणित किया है। अतएव वादी का वाद स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है :-

(1) वादी को स्वर्गीय हमेलसिंह के वारिस के रूप में अन्य वारसानगण के साथ मौजा सालेवाड़ा प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. दमौह तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 11/3 रकबा 3.32 एकड़ भूमि पर स्वत्व प्राप्त है।

(2) विवादित भूमि में से प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अपने अंश से अधिक भूमि का अंतरण अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक-2 से 4 के पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रय पत्र दिनांक-05.09.2011 वादी एवं स्वर्गीय हमेलसिंह की तीनों पुत्रियों पर प्रभावशून्य है।

(3) प्रतिवादी क्रमांक-1 से 4 स्वयं के साथ वादी का भी वादव्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञा पारित तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर